संख्या-09/2020/2578 /86-2019-14(बजट)/2017

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 28 जनवरी, 2020

विषयः- खनिज भवन भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के कार्यो के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2555/ए-38/2019-2020, दिनांक 16.12.2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष- 2019-20 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में ए0सी0पी0 सीट लगाये जाने एवं मरम्मत कार्य हेतु एवं खनिज भवन में स्थापित मेन बसबार के स्थान पर नया बसबार स्थापित कराये जाने तथा सम्बन्धित केबिल आदि कार्यो हेतु (जिसका विवरण तालिका में उल्लिखित है) अनुदान संख्या-4 उद्योग विभाग (खाने और खनिज) के लेखाशीर्षक-"4853-01-800- 04-0401-एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत-24-वृहत निर्माण कार्य" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख के सापेक्ष रू0 99.18 (रू0 निन्नाबे लाख अट्ठारह हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

(क) (रूपये लाख में)

क्र0 स0	कार्य योजना	कार्यदायी संस्था	आगणन धनराशि
1.	खनिज भवन में स्थापित मेन बसबार के स्थान पर नया बसबार स्थापित कराये जाने सम्बन्धी कार्य।	इकाई प्रभारी, इकाई-1 (विद्युत) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, नियर निशातगंज ब्रिज, अशोक मार्ग, लखनऊ।	81.44
		उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 द्वारा लेबर चार्ज में छूट प्रदान	(-) 0.50
		योगः-	80.94

https://shasanadesh.up.gov.in

(ख) (रूपये लाख में)

क्र0 स0	कार्य योजना	कार्यदायी संस्था	आगणन धनराशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2018-19 में किए गए आगणन रूपये 45.11 लाख के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि रूपये 26.87 लाख के उपरान्त वर्तमान में अपेक्षित अवशेष धनराशि
1.	पूर्व दिशा एवं उत्तर दिशा के कोनो की ओर ए0सी0पी0 सीट लगाये जाने एवं मरम्मत के कार्य हेतु रू0	इकाई प्रभारी, इकाई-13 उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0, प्लाट न0-4, सेक्टर-7, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ	45.11	26.87	18.24
उपरोक्तानुसार प्रस्तावित कार्य-क एवं ख की कुल धनराशि-रू0 80.94 +18.24 = 99.18 (रूपये निन्नान्बे लाख अट्ठारह हजार मात्र)					

3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा उक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्त वर्ष 2019-20 में किया जायेगा:-

(1) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा, एकमुश्त धनराशि का आहरण नहीं किया जायेगा।

(2) धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3) यथासमय उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस- 2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि से होने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2019-2020 में अनुदान संख्या-04 -उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के पूंजी लेखाशीर्षक-4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-800-अन्य व्यय-04-खनन विकास की योजनायें-0401-एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्याः2578(1)/86-2019, तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग (सामग्री क्रय अनुभाग), उत्तर प्रदेश, कानपुर।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2/3
8. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in